192

for Director General State Transport, Haryana, Chandigarh.

ORDER

No	/EA3/E1	Dated	
and in continuat	ion of this office order No.85 d annual increment of Gro	me in terms of Rule 4.4 of CSR Vol-I, Pa 98/EA3/E1, dated 09.08.2011, the power oup-A officers of Headquarter as well Additional Transport Commissioner-I.	er of
regarding pay f		officer is, hereby, delegated the pow of Headquarter & Haryana Roadways dquarter.	
Dated Chandigarh, the 23.07.2013		Arun Kumar Director General State Transpo Haryana.	ort,
Endst.No65	725-70 /EA3/E1	Dated Chandigarh, the 24	7/2
A necessary action		varded to the following for information	and
 Addition Senior M All Offic All General General 	ry to DGST hal Transport Commissioner- Mechanical Engineer, GCW, ers at Headquarter. eral Managers, Haryana Roal Manager/DTC, CW, Karnal/ Equad Officer, ISBT, Delhi. le.	Haryana, Chandigarh. adways.	

प्रेषक

महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा चण्डीगढ।

सेवा में,

- सभी महाप्रबन्धक (नाम से), हरियाणा राज्य परिवहन,
- 2. उड़नदस्ता अधिकारी (नाम से), आई.एस.बी.टी. दिल्ली।
- महाप्रबन्धक / उप परिवहन नियंत्रक (नाम से), राजकीय केन्द्रीय कर्मशाला, हिसार / करनाल।
- 4. महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन (नाम से), ड्राईवर ट्रैनिंग स्कूल मुरथल (सोनीपत)।

कमांक 5297-5322 ईए3/ई1

दिनांक 02-04-12

विषय:- श्रेणी । व ॥ के अधिकारियों का वेतन निर्धारण करने बारे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको अवगत कराया जाता है कि मुख्यालय के ध्यान में आया है कि अधिकारी / कर्मचारी की पदोन्नित श्रेणी । व ॥ में होने उपरान्त उनका वेतन निर्धारण कुछ महाप्रबन्धकों द्वारा अपने स्तर पर ही किया जा रहा है, जबिक उक्त श्रेणी के अधिकारियों के वेतन निर्धारण करने की शक्तियां मुख्यालय स्तर पर ही है, जिनके आदेशों की प्रति समय—2 पर आप सभी को जारी की जाती रही है, परन्तु इन आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे केसों में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण का प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करना चाहिए होता है। मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारी / कर्मचारियों की पदोन्नित श्रेणी । व ॥ में होने उपरान्त उनका वेतन निर्धारण सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा स्वयं अपने स्तर पर करने को गम्भीरता से लिया है।

अतः आप सभी को निर्देश दिए जाते है कि सभी विभागीय श्रेणी । व ॥ के वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव को हिदायतों/नियमानुसार अपने कार्यालय के अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी से चैक करवाने उपरान्त मुख्यालय को प्रेषित किए जाए। यदि भविष्य में ऐसा कोई केस आपके द्वारा अपने स्तर पर किया गया पाया जाता है तो, उसे अति गम्भीरता से लिया जाएगा। इन हिदायतों के बारे में आप अपने कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया जाए।

कृतेः महीनिदेशक, राज्य परिवहन√हरियाणा, चण्डीगढ़।